छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 20 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 29,1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री चक्रधारी सिंह, पूर्व सांसद, लोकसभा।

(2) श्री भजन सिंह निरंकारी, पूर्व सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–19 के अंतर्गत इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–13/2017/32, दिनांक 09 मई, 2022 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–34/2021/32, दिनांक 09 मई, 2022 पटल पर रखेंगे।

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(8) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34/सात–1/2021, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा अधिसूचित वृक्ष कटाई के नियम, 2022 पटल पर रखेंगे।

4. मार्च, 2022 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

5. मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267–क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, रायपुर में विधान सभा रोड, मोवा के PUNO इंडोर एडवेंचर और ट्रैम्पोलिन पार्क में आने वाले लोगों के साथ सुरक्षा के अभाव में दुर्घटनाएं घटित होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने में आ रही समस्या की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री संतराम नेताम, सदस्य, अबूझमांड़ सहित नारायणपुर जिले में संचालित आश्रम शालाओं के कम्प्यूटर कक्ष में विद्युतीकरण नहीं होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 19 जुलाई, 2022